न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 65/2022/प्रार्थना पत्र/बउनवान/हरिप्रकाश गौतम बनाम ग्राम पंचायत बमोरीकला

जीसीएमएस संख्या 2022/18

1. हरिप्रकाश गौतम पुत्र बद्रीलाल गौतम जाति ब्राह्मण निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी/अप्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बमोरीकलां तहसील मांगरोल जरिये सरपंच मलखान सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी

वकील वादी/अप्रार्थी : श्री मनोज कुमार गालव एवं श्री कृष्ण मुरारी पारीक

वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 01.05.2022 **निर्णय दिनांकः 19.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. यह कि उपरोक्त उनवान के बाद में आज तारीख पेशी वास्ते तनकीयात नियत है, और अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वास्ते निर्णय तारीख पेशी नियत है।
2. यह कि वादी ने वाद पेश करने से पूर्व धारा 109 राज. पंचायती राज. कानून 1994 के तहत प्रतिवादीगण को नोटिस नहीं कदया गया है नोटिस देना mandatory प्रावधान है, धारा 109 पंचायती राज. कानून के अभाव में वाद मेन्टेनेबल नहीं है, और वाद काबिल खारिज है। बार खारिज है। वाद खारिज होने के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज हो जावेगा। न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2014 (2) Raj Page 1153, DNJ 2008 (1) Raj Page 58 समर्थित है।

अतः प्रार्थना है कि धारा 109 राज. पंचायती राज. कानून के अभाव में वाद खारिज फरमाया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 7 आदेश 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं 1 स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मंद नं 2 दृढता से अस्वीकार है, वाद वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा के लिये विरुद्ध प्रतिवादीगण के लिये प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाही गयी है केवल अपनी सम्पति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि शुरु से ही वादी के खाते की भूमि सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा सहवन से कम कर दी गयी थी और गैर मुमकिन रास्ते का रकबा बढ़ा दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर नोटिस के कथनों का छिपाव किया गया है। वादी को अवैध रुप से प्रतिवादी क्रम 1 सरपंच द्वारा कार्यालय नोटिस प्रदान करने परजवाब नोटिस और विधिक नोटिस प्रदान कर दिया गया है। शेष विवरण विशेष कथन में दर्ज है।

विशेष कथन :–

1. यह कि वादी ने वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व ग्राम पंचायत सचिव पदेन ग्राम विकास अधिकारी को जवाब नोटिस व नोटिस प्रदान कर दिया था जिसकी पावती रसीद भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा वादी को दिनांक 15.05.2022 को प्रदान कर रखी है। जवाब नोटिस के साथ ही आवश्यक प्रावधानों का हवाला देकर मजबूरन ग्राम पंचायत के विरुद्ध किये जाने वाली कार्यवाही के लिये चेता रखा था और प्रस्तुत वाद में ग्राम पंचायत की तलबी से पूर्व 2 माह की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा उठायी गयी आपत्ति निराधार व बेबुनियादी है एवं प्रथम दृष्टया काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत को नोटिस प्रदान करना एक प्रक्रिया का नियम है, जिसके अभाव में वाद खारिज नहीं किया जा सकता है।
2. यह कि वाद वादी ग्राम पंचायत द्वारा जबरन जेसीबी मशीन लेकर वादी के कभी रकबा खातेदारी की भूमियों बने मकान को द्वेषता पूर्वक तोडने पर उत्पन्न हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उठायी गयी आपतियाँ तथ्य, विधि और साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है जो इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता है ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्ययय खारिज फरमाया जावे ।

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना मय संलग्न दस्तावेजात जिस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं गहनता से मनन किया। वकील वादी मुख्य कथन है कि वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादीगण को राजस्थान यती राज कानून 1994 के तहत नोटिस नहीं दिया है। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज न की धारा 109 के तहत वाद खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा कथन कर स्पष्ट किया कि वाद वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा लिये विरुद्ध प्रतिवादीगण के लिये प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के विरुद्ध किसी कार की कोई रिलीफ नहीं चाही गयी हैं, केवल अपनी सम्पति को अक्षुण्ण बनाये रखने के ये वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद प्रस्तुतीकरण से पूर्व ग्राम पंचायत सचिव पदेन ग्राम कास अधिकारी को जवाब नोटिस व नोटिस प्रदान कर दिया था जिसकी पावती रसीद भी ाम विकास अधिकारी द्वारा वादी को दिनांक 15.05.2022 को प्रदान कर रखी है। प्रस्तुत वाद ग्राम पंचायत की तलबी से पूर्व 2 माह की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिये ग्राम पंचायत ारा उठायी गयी आपत्ति निराधार व बेबुनियादी है एवं प्रथमदृष्टया काबिल खारिज है।

सी0पी0सी0 आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा वाद पत्र ामंजूर(खारिज) किया जा सकता है, यदि प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित हो किन्तु ार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादपत्र किस प्रकार से वेधि/कानून द्वारा वर्जित है और न ही ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं जिनके आधार पर ी0पी0सी0 आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत मूल वाद खारिज किया जाना न्याय ेत में आवश्यक हो। वादी द्वारा वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। वादी के विवादित ाराजी में हक अधिकार का फैसला मूल वाद में तय किया जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र आदेश नियम 11 सी0पी0सी को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner